HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 306/2026

Balram S/o Shri Chotelal, Aged About 42 Years, R/o Adauli, Tehsil-Laxmangarh, District Alwar, Raj.

----Appellant

Versus

1. Ramkaran S/o Shri Sukka, Aged About 62 Years, R/o Adauli, Tehsil Laxmangarh, District Alwar, Presently R/o Kharya Ka Bas, Hatoj, Tehsil Reni, District Alwar, Raj.
2. Jagdish S/o Lallu, Aged About 65 Years, R/o Adauli, Tehsil Laxmangarh, District Alwar.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Tarun Kumar Mishra, Adv. Ms. Jyoti Prakash Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

05/05/2026

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 863/26 अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी पर सुना गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि उन्होंने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध आराजी खसरा नंबर 62, 63 किता 2 रकबा 0.8852 वाके गांव अडौली के संबंध में तय किये मुहायदा व स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने बयनामा प्रस्तुत किया है। जिसका मुख्य आधार इकारनामा दिनांक 09.09.2020 है, जिस पर इकरारनामे में अंकित दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है और अपीलार्थी बलराम से प्रत्यर्थी रामकरन द्वारा 14 लाख रुपये लिये जाने की रसीद है। जिस पर रामकरन की अंगूठा निशानी है जो दो गवाहों की उपस्थिति में लिये गये हैं। उसके बावजूद विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में दीवानी दावा संख्या 3/21 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 23.12.2025 के पैरा संख्या 26 में उक्त इकरारनामे पर गवाह व रसीद के हस्ताक्षर संदिग्ध होना मानकर उक्त इकरारनामे पर लिखी

गयी रसीद को विश्वसनीय नहीं मानकर अपीलार्थी/वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। जो विधि अनुकूल नहीं है। यदि वादग्रस्त संपत्ति प्रत्यर्थीगण द्वारा हस्तांतरित कर दी जाती है तो यह अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।

अपीलार्थी के तर्कों पर मनन करने और आलोच्य निर्णय और पत्रावली के अवलोकन करने से अपीलार्थी/वादी के तर्क विचारणीय योग्य है। अतः प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त संपत्ति को आगामी तारीख पेशी तक रहन, विक्रय हस्तान्तरित नहीं करे।

यह उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण की तामील होने पर प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर उपस्थित दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन आदेश पर नए सिरे से आदेश पारित किया जावेगा।

तद्नूरूप प्रार्थना पत्र संख्या 863/26 स्वीकार किया जाता है।

अपील विचारणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावे।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकरण से संबंधित अभिलेख को तलब कर आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Nikita/74